



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

## कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1702 / 12-1-22 दिनांक 6 / 2 / 2020::

सेवा में

अधि०अभि० निर्माण शाखा  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
रुद्रप्रयाग

विषय:- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी

1. डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण नहीं दर्शाया गया है।
2. आप द्वारा प्रपत्र-9 में अंकित किया गया है कि वैकल्पिक संरेखण में अधिक वृक्ष आने के कारण संरेखण निरस्त किया गया, किंतु वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गयी है तथा यह भी अंकित किया गया है कि तीन संरेखणों में से एक उपयुक्त पाया गया जबकि तालिका में दो ही संरेखण अंकित किये गये हैं।
3. प्रपत्र-10 में आवेदित भूमि अंकित नहीं की गयी है। लैंड शड्यूल में वनपंचायत का नाम भी अंकित नहीं किया गया है तथा खसरा, रकवा भी अंकित नहीं किया गया है।
4. परियोजना का नाम भी अंकित नहीं किया गया है व वन पंचायत का नाम भी अंकित नहीं किया गया है।
5. प्रपत्र-13 में परियोजना का नाम व वन पंचायत का नाम तथा बार चार्ट है० की जगह किमी० में दर्शाया जाये।
6. प्रपत्र-15.4, प्रपत्र- 17 में वन पंचायत का नाम अंकित किया जाये।
7. प्रपत्र-19 में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी के प्रमाण पत्र को मुख्य वन संरक्षक आई०टी० एवं आधुनिकरण 85 राजपुर रोड, वन मुख्यालय देहरादून से तैयार करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
9. Cost Benefit Resue चार्ट तथा प्रपत्र-25 में लागू नहीं भरा जाये।
10. प्रभावित होने वाली वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
11. प्रपत्र-33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों व जनसंख्या भरी जाये।

आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की प्रति मूल में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित कि उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें तत्पश्चात् प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग